

संख्या 02081/2022-2023

घासू-9
नियम 8(2) देखिये

दिनांक 23/11/2022



सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण

संख्या: R/GOR/13851/2022-2023

पत्रावली संख्या: G-59876

दिनांक: 2017-2018

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आलोक कुमार शिक्षा एवं जन सेवा समिति, ग्राम-बहादुरपुर बुजुर्ग बेलघाट
जनपद-गोरखपुर, गोरखपुर, 273404 को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 747/2017-2018
दिनांक-29/06/2017 को दिनांक-29/06/2022 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है।
1100 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।



Digitally Signed By
(Ajay Kumar Shahi)

0097FB1C47DF3F7B5BB0589C12A76E5CD27FC364

Date: 23/11/2022 1:55:29 PM, Location: Gorakhpur.

जारी करने का दिनांक-23/11/2022

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश।

प्रमाणपत्र क्रमांक

055586

प्रारूप -8

नियम 7(2) देखिये

संख्या 2090

दिनांक 29/06/17



सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र

पंजीकरण संख्या

747

पत्रावली संख्या

जी-59876

दिनांक

2017-2018

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि *आलोक कुमार शिक्षा.....

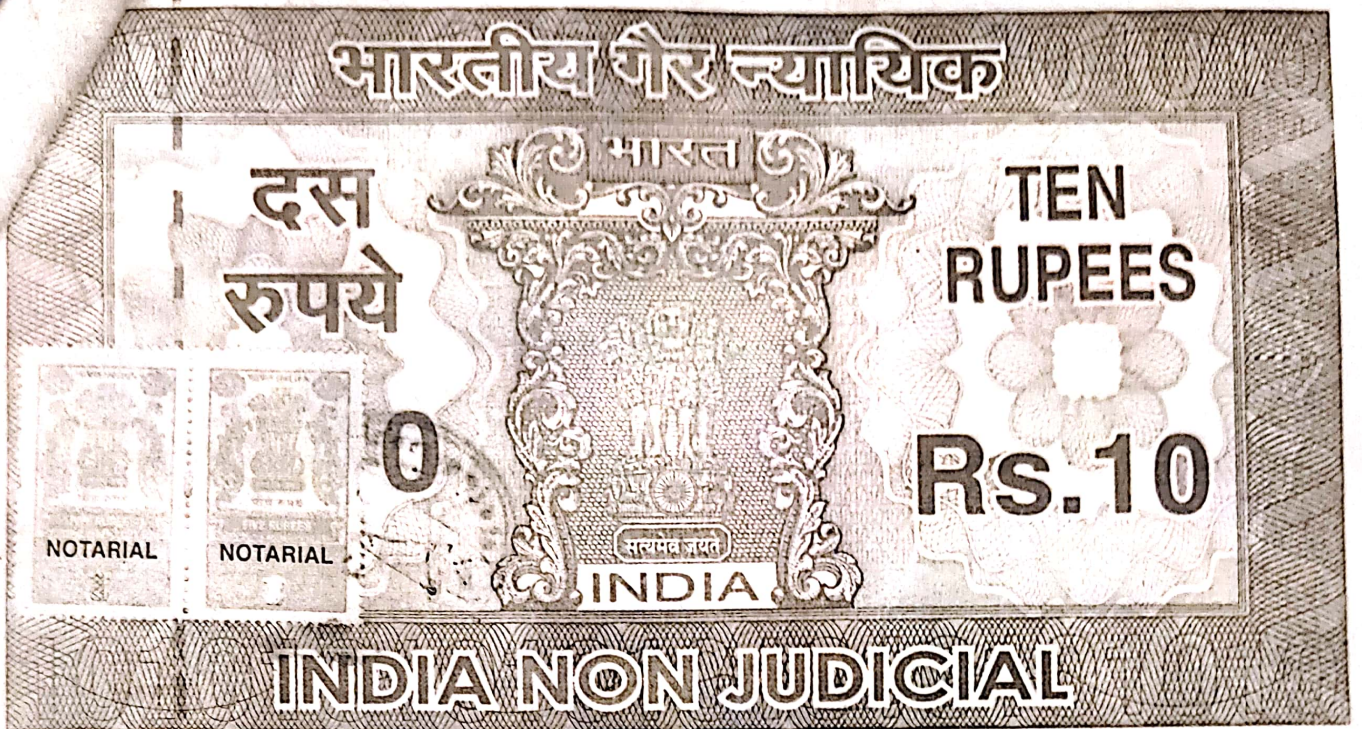
एवं जन सेवा समिति, ग्राम-बहादुरपुर बुजुग, बेलघाट, जनपद-गोरखपुर.....को आज
उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण
अधिनियम 1860 के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है। यह
प्रमाण-पत्र तक विधि मान्य होगा।

28-06-2022

आज दिनांक दो हजार को मेरे हस्ताक्षर से दिया
गया। 29-06 17

*सोसाइटी का नाम, पता

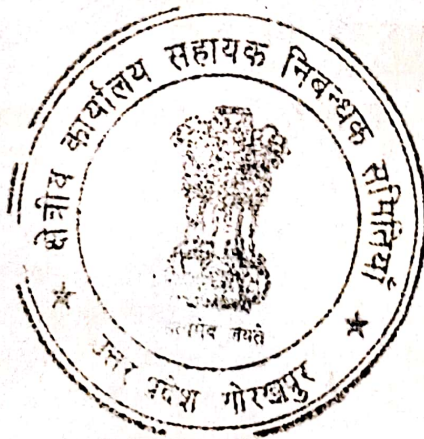
सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

24AD 500383

जनरल स्टाम्प पेपर - आर्य समाज सेवा समिति
ग्राम - बहादुरपुर, जिला - बलिया, पिन कोड - 225001
जिला - बलिया, पिन कोड - 225001
विषय - ... के साथ संलग्न है।



सहायक सेक्रेटरी
फॉर्म प्रोवाइडींग एवं चिट्ठा
गोरखपुर (उ० प्र०)
25-8-77

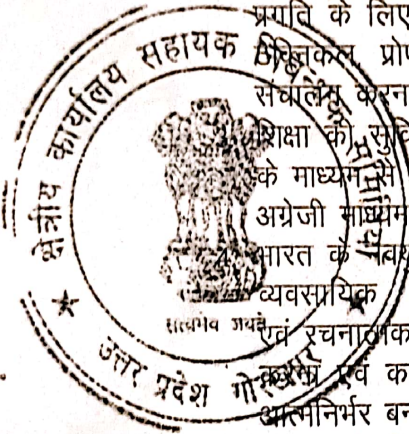
स्मृति-पत्र

1. संस्था का नाम : आलोक कुमार शिक्षा एवं जन सेवा समिति
2. संस्था का पूरा पता : ग्राम- बहादुरपुर बुर्जुग, बेलघाट,
जनपद- गोरखपुर।

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था का उद्देश्य :

संस्था के अन्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं-

1. जन सामान्य को उचित शिक्षा, प्रदूषण रहित स्वस्थ वातावरण तथा बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने से सम्बन्धित आवश्यक कार्यों को करना।
2. समाज के पिछड़े हुए लोगों को साक्षर बनाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना एवं क्षेत्र के बालक-बालिकाओं को सुविधा पूर्वक उच्च स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टर ;10+2, डिग्री व पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना कर शिक्षा के विभिन्न संकायों जैसे- कला, विज्ञान, वाणिज्य, विधि, शिक्षा एवं प्रशिक्षण के विषयों की अध्ययन सुविधा विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना और प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा, विज्ञान एवं प्राद्यौगिकी मैनेजमेन्ट की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करना और पिछड़े क्षेत्र के अविकसित विद्यालयों के प्रगति के लिए प्रयास करना। विज्ञान व मैनेजमेन्ट, मेडिकल कालेज इन्जीनियरिंग कालेज, डिप्लोमा प्रोफेशनल कालेजों एवं ला कालेजों की शिक्षा की व्यवस्था करना एवं उसका संचालन करना।
3. शिक्षा की सुविधा प्रदान कर बालक एवं बालिकाओं को सच्चरित्र नागरिक बनाना एवं संस्था के माध्यम से बालक एवं बालिकाओं हेतु सी0बी0एस0सी0 बोर्ड /आई0सी0एस0सी0 पैटर्न पर अग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की स्थापना करना।
4. भारत के नवयुवक एवं नवयुवतियों को मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और सिविल टेड के साथ ही व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें प्लेसमेन्ट के आधार पर स्वरोजगार उपलब्ध कराना एवं रचनात्मक दिशा देने के लिए लघु उद्योगों, प्राविधिक शिक्षा, प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना एवं कम्प्यूटर शिक्षा से सम्बन्धित साफ्टवेयरों एवं हार्डवेयर का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना।
5. समाज के पिछड़े एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिलाओं के उत्था- हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण जैसे-कम्प्यूटर टाइपिंग, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, पेन्टिंग, संगीत शिक्षा, फल संरक्षण, रेक्सन कला एवं ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार के योग्य बनाना।
6. निर्बलों के उत्थान हेतु शिक्षा एवं उपयोगी ज्ञान का प्रचार प्रसार करना तथा सामान्य जन में चेतना जागृत करने एवं उनके बौद्धिक विकास के लिए पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना तथा हेरिटेज व संग्रहालय पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना।

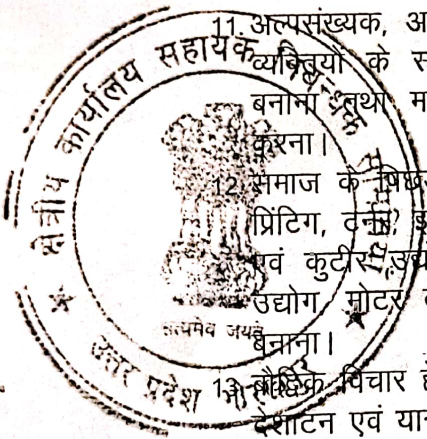


1- एम्पा सिद्ध
2- राजेश सिंह
3- 201/जी.सी.टी.ई

4- Alok Kumar 6- जीतराज
5- राजकुमार 7- श्रीप कुमार मोदी

सहायक रजिस्ट्रार
फर्स, मोसाइटीज एवं विद्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

7. नवयुवक एवं नवयुवतियों को रचनात्मक दिशा देने के लिए लघु उद्योगों, प्राविधिक शिक्षा के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना तथा उन्हें स्वरोजगार हेतु विभिन्न विधाओं की शिक्षा एवं कम्प्यूटर से सम्बन्धित हार्डवेयर व साफ्टवेयर का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्म निर्भर बनाने का प्रयास करना। विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों के उत्थान हेतु निःशुल्क कम्प्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करना।
8. समाज को साक्षर बनाने के लिए सर्वशिक्षा कार्यक्रम का संचालन करना तथा शारीरिक व मानसिक रूप से अक्षम व्यक्तियों एवं विकलांगों हेतु कल्याणकारी कार्यों को सम्पादित करना तथा इनके रहने के लिए भवन व छात्रावास बनवाना। इसके अतिरिक्त समाज के अधिक उम्र व निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।
9. विकास से सम्बन्धित कल्याणकारी कार्यक्रमों को आयोजित एवं संचालित करना तथा जन सामान्य के बौद्धिक विकास हेतु सेमिनार एवं कैम्प के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा हिन्दी व अन्य भाषाओं एवं लोक साहित्य के विकास हेतु प्रचार प्रसार करना तथा इस हेतु लोक कला केन्द्रों की स्थापना व पत्र-पत्रिका इत्यादि का प्रकाशन करना तथा आम जन के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक ज्ञानवर्धक मनोरंजन कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।
10. खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग सेन्टर स्थापित करना तथा युवा वर्ग के कल्याण हेतु व्यायामशालाओं का निर्माण कराना और इस प्रकार लोगों में खेल भावना जागृत कर विभिन्न खेलों के प्रति जन सामान्य की अभिरुचि उत्पन्न करना तथा खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए पुरस्कार वितरण की व्यवस्था करना और इस हेतु कार्यक्रमों को आयोजित करना।
11. अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति तथा समाज के निर्धन व्यक्तियों के सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान में सहायक विभिन्न कल्याणकारी योजनायें बनाना तथा महिला सम्मेलन, बाल सम्मेलन व वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना।
12. समाज के पिछड़े वर्ग हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण जैसे-टाइपिंग, कम्प्यूटर डाटा प्रोसेसिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, रेडियो, टेपिंग, लघु एवं कुटीर उद्योग, मोटर बाइडिंग, टी. मोटर मैकेनिक, रेडियो, टेपिंग, लघु एवं कुटीर उद्योग, मोटर बाइडिंग, टी.वी., एयर कन्डीशनर का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के योग्य बनाना।
13. बौद्धिक विचार हेतु विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, सामाजिक कार्यक्रम जागरूकता शिविर, देशाटन एवं यात्राओं का आयोजन करना।
14. स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं बाल कल्याण कार्यक्रमों को संचालित करना तथा कैम्प एवं सेमिनार आयोजित कर सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक एवं प्रेरित करना और स्वच्छता अभियान चलाकर समाज को रोगमुक्त करना। निःशुल्क टीकाकरण, रक्तदान शिविर तथा नेत्र-ज्योति शिविर का आयोजन करना और धर्मार्थ चिकित्सालयों का निर्माण कर चिकित्सा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य निःशुल्क संचालित करना।
15. कृषि एवं भूमि सुधार से सम्बन्धित कार्यों के द्वारा भूमिसंरक्षण एवं जलसंरक्षण का कार्य करना तथा विशेषज्ञों के आधुनिकतम शोध कार्यों से कृषकों को लाभ पहुँचाना तथा कृषि विविधिकरण कार्यक्रमों का संचालन करना तथा कृषि से सम्बन्धित पशु पालन, मत्स्य पालन,



1- पुष्पा सिंह
2- नारायण सिंह
3- राजाजी सिंह

4- Abk Kumar

5- राजा कुमार

6- जीतराज

7- प्रदीप कुमार मोदी

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म, मोहाइटीज एवं चिट्स
2- गिरधपुर (उ० प्र०)

मुर्गी पालन व रेशम कीट पालन की जानकारी कृषकों को निःशुल्क उपलब्ध कराकर उनसे विकास में सहयोग करना और पशु एवं कृषि में होने वाली बीमारियों से बचाव हेतु कार्य करना।

16. दैवी आपदा बाढ़, भूकम्प इत्यादि से पीड़ित जनों की सहायता करना तथा विभिन्न प्रकार की महामारी की रोकथाम के लिए जनसाधारण की हर प्रकार से सहायता करना।
17. गोवंश की रक्षा, भरण पोषण इत्यादि की व्यवस्था करना और इस हेतु गौशालाओं की स्थापना करना तथा डेयरी फार्म व दुग्ध विकास के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने हेतु आवश्यक कार्यों को निःस्वार्थभाव से करना।
18. पर्यावरण से सम्बन्धित क्षेत्र में कार्य कर प्रदूषण नियन्त्रण हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन तथा वृक्षारोपण एवं वन विकास से सम्बन्धित कार्यों को करना। नदियों तथा तालाबों की स्वच्छता के लिए आवश्यक कार्यक्रम चलाना।
19. महिलाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा निराश्रित महिलाओं, बूढ़ों व बच्चों के लिए आश्रय स्थल तथा ओल्डएज होम को स्थापित करना।
20. सामाजिक उत्थान के लिए समस्त सम्बन्धित कार्य करना जो राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों को गतिशील करने व स्थानीय समस्याओं को दूर विकास कार्यक्रमों को गतिशील करने व स्थानीय समस्याओं को दूर करने में सहयोगी हों।
21. समाज में व्याप्त छूआ-छूत, ऊँच नीच तथा जाति धर्म की विषमता को दूर करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करने का कार्यक्रम बनाना। मादक पदार्थों का नशा करने वालों की लत छुड़ाने के लिए गोष्ठी एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जनजागरण करना और इसके लिए चिकित्सकों की मदद से धर्मार्थ अस्पतालें सहायक कीमती करना।
22. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, दलित, कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे जीवन अर्पण करने वाले भूमिहीनों, मजदूरों एवं ग्रामीण हस्तकारों को स्वतः रोजगार उपलब्ध कराने हेतु तकनीकी ज्ञान देने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
23. नदियों के गन्दे पानी एवं कचरे को जाने से रोकने के लिए कार्यक्रम बनाना व सफाई च संचालन करना।
24. स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रमों एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों को गावों में व्यापक स्तर पर निःशुल्क संचालित करने का कार्यक्रम जैसे- पल्स पोलियो, हैपेटाइटिस, फाइलेरिया, मलेरिया, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, एड्स, कुसर, टी0 वी0, कुछ क्षेत्रीय बीमारियों के रोकथाम के प्रचारा व प्रसार करना व जानकारी चिकित्सालयों की स्थापना करना तथा मानव कल्याण हेतु हर प्रकार की चिकित्सा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना व रेडकास सोसाइटी की योजनाओं के साथ कच्चे से कच्चा मिलाकर जन साधारण को जानकारी मुहैया कराना व मोबाइल चिकित्सा का संचालन करना।
25. सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के धारा 20 के अन्तर्गत वर्णित कार्यों को करना।

1- प्रकाश सिंह

2- योगेश्वर सिंह

3- राजेश कुमार

4- Ajit Kumar

5- राजेश कुमार

6- जीतेश्वर

7- प्रदीप कुमार मोय



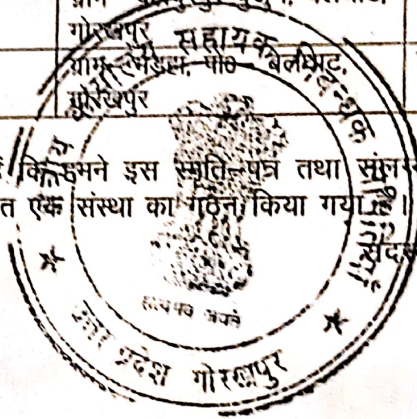
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म, सोसाइटीज एवं चिट्स
2 मई 2018 (30 प्र०)

5. संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के इस स्मृति पत्र तथा नियमावली के अनुसार संस्था का कार्यभार सौंपा गया है—

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्रीमती पुष्पा सिंह	श्री रणजीत सिंह	ग्राम— बहादुरपुर बुर्जुग, बेलघाट, गोरखपुर	अध्यक्ष	गृहणी
2.	श्री नागेन्द्र सिंह	श्री केदारनाथ सिंह	ग्राम— भेलवल बगियापार, बरतो	उपाध्यक्ष	कृषि
3.	श्री रणजीत सिंह	श्री राम मूरत सिंह	ग्राम— बहादुरपुर बुर्जुग, बेलघाट, गोरखपुर	प्रबन्धक/मंत्री	कृषि
4.	श्री आलोक कुमार	श्री रणजीत सिंह	ग्राम— बहादुरपुर बुर्जुग, बेलघाट, गोरखपुर	उपप्रबन्धक/उपमंत्री	कृषि
5.	श्री राजकुमार	श्री रामाश्रय	ग्राम— बहादुरपुर बुर्जुग, बेलघाट, गोरखपुर	कोषाध्यक्ष	कृषि
6.	श्री जीतराज	श्री चुन्नीलाल	ग्राम— बहादुरपुर बुर्जुग, बेलघाट, गोरखपुर	सदस्य	कृषि
7.	श्री प्रदीप कुमार मौर्य	श्री मधुवन मौर्य	ग्राम— बहादुरपुर बुर्जुग, बेलघाट, गोरखपुर	सदस्य	कृषि

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति-पत्र तथा संस्था के नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजि० एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक संस्था का गठन किया गया है।

दिनांक : 24/06/17



सदस्यों के हस्ताक्षर

सत्य - प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा विद्रस
2/30 प्र० गोरखपुर

प्रतिलिपि कर्ता.....

मिलान कर्ता.....

- 1- पुष्पा सिंह
2- नागेन्द्र सिंह
3- रणजीत सिंह

4- Abk Kumar

5- राजकुमार

6- जीतराज

7- प्रदीप कुमार मौर्य

नियमावली

1. संस्था का नाम :: आलोक कुमार शिक्षा एवं जन सेवा समिति
2. संस्था का पूरा पता : ग्राम- बहादुरपुर बुर्जुग, बेलघाट,
जनपद- गोरखपुर।
3. संस्था का कार्य क्षेत्र :: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग-

आजीवन सदस्य -

जो व्यक्ति संस्था को 5001/- रुपये नकद या इतने ही मूल्य की कोई चल व अचल सम्पत्ति दान स्वरूप देगा वह संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेंगे।

विशिष्ट सदस्य-

संस्था के प्रति हितैषी भाव रखने वाला सम्मानित व्यक्ति आवश्यकता पड़ने पर सहायता देने वाला व्यक्ति संस्था के विशिष्ट सदस्य माने जायेंगे।

सामान्य-

जो व्यक्ति संस्था को 1001/- रुपये नकद या इतने ही मूल्य की कोई चल व अचल सम्पत्ति देगा वह संस्था के सामान्य सदस्य माने जायेंगे।

5. सदस्यता की समाप्ति -

संस्था के सदस्यों की सदस्यता की समाप्ति निम्न आधारों पर समाप्त भावी जायेंगे।

1. किसी सदस्य के अचानक मृत्यु हो जाने पर।
2. किसी सदस्य के पागलपन से पीड़ित हो जाने पर।
3. संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
4. सदस्यता से त्याग पत्र या अविश्वास प्रस्ताव कखने पर पारित होने पर।
5. कमेटी द्वारा पारित नियमों के पालन न करने पर।
6. संस्था की सदस्यता शुल्क न जमा करने पर।

6. संस्था के अंग-

संस्था के प्रमुख दो अंग होंगे।

क. साधारण सभा

ख. प्रबन्धकारिणी सभा

7. साधारण सभा -

- 1- पुष्पा सिंह
- 2- नमो गणेश
- 3- राजकुमार

4- Alok Kumar
5- राजकुमार

6- जितेंद्र
7- प्रदीप कुमार मोदी

सहायक रजिस्ट्रार
फार्म, मोबाइलीज एवं चिट्ठा
गोरखपुर (उ० प्र०)

क. गठन- संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन किया जायेगा।

ख. बैठक- संस्था की साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में कम से कम एक बार तथा विशेष आवश्यक बैठक अध्यक्ष की अनुमति से कभी भी बुलाई जा सकती है।

ग. सूचना अवधि- संस्था की साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 10 दिनांक के पूर्व तथा आवश्यक बैठक की सूचना 2 दिन पूर्व सभी सदस्यों को नियमित रूप से दिया जायेगा।

घ. गणपूर्ति - संस्था के साधारण सभा की सामान्य रूप से समस्त बैठक की गणपूर्ति संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 सदस्यों का होगा।

ङ. वार्षिक अधिवेशन की तिथि - संस्था के साधारण सभा का वार्षिक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में एक बार अवश्य होगी जो माह अप्रैल के पहले सप्ताह में किया जायेगा।

च. साधारण सभा के कर्तव्य -

1. प्रबन्धकारिणी समिति गठन करना।
2. प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा किया गया वर्षों का आय व्यय स्वीकृत करना तथा आगामी वर्ष के लिए व्यय की संस्तुति प्रदान करना।
3. आय व्यय निरीक्षण के लिए निरीक्षक की नियुक्ति करना।
4. संस्था के पूर्ण अभिलेखों पर अधिकार रखना।

8. प्रबन्धकारिणी समिति-

क. गठन- प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के आधार पर होगा जिसमें 6 पदाधिकारियों एवं 5 सदस्य हों और कुल की संख्या 11 होगी।

ख. बैठक - प्रबन्धकारिणी समिति के सामान्य बैठक वर्ष में 4 बार आयोजित होगी। पड़ने पर विशेष बैठक 24 घंटे पूर्व बुलाई जा सकती है।

ग. सूचना अवधि- प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 7 दिनांक पूर्व देनी होगी विशेष बैठक की सूचना 2 दिनांक पूर्व देना आवश्यक होगा।

घ. गणपूर्ति - प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत के आधार पर होगा।

ङ. रिक्त स्थान की पूर्ति - प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत के आधार पर शेष काल के लिए की जायेगी।

9. प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य-

1. संस्था के हित में सभी प्रकार के प्रयत्न करना।
2. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
3. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
4. संस्था के उद्देश्यों हेतु राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय व सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं / प्राइवेट बैंक/बैंकों, खादीग्रामाद्योग, व्यक्ति/व्यक्तियों, चन्दा, ऋण व

1- उपस्थित
2- नागेन्द्र सिंह
3- 2014/15

4- AkK Kumar
5- राज कुमार

6- जीतराज
7- प्रदीप कुमार मोदी

सहायक सजिस्ट्रार
फर्न्स, सोसाइटीज एवं चिट्ठस
मेम्बर (30 प्रो)

अनुदान प्राप्त करना।

5. प्रबन्ध समिति द्वारा प्रस्ताव करके उद्देश्यों में परिवर्तन व संशोधन करना।

कार्यकाल- प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से लेकर 5 वर्ष का होगा।

10. आई0सी0एस0ई0/सीबीएसई बोर्ड के नियम तथा प्रतिबन्ध मान्य होंगे-

1. विद्यालय की पजीकृत सोसायटी का समय- समय पर नवीनीकरण कराया जाय।
2. विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निर्देशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के मेधाई छात्रों के लिए सुरक्षित रहेगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होत है तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता/राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनाई जायेगी और उन्हें सहायताप्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था/अनुदान पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंलिकाओं में रखा जायेगा, यदि किसी भी प्रकार प्रबन्धकारिणी का विद्यालय के विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्धक 1 से 8 तक स्वीकार करेगा।
9. उक्त शर्तों के बिना शासन के पूर्वानुमति के कोई परिवर्तन/परिवर्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।
10. संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों को उपलब्ध कराने तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित आदेश का पालन करना।
11. समिति विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त करने वाली विद्यालय तथा प्रशिक्षण हेतु बी0एड0, बी0पी0एड0 तथा बी0टी0सी0 का प्रशिक्षण हेतु विद्यालय की स्थापना करना।
12. संस्था यदि किसी ट्रस्ट का निर्माण करती है तो समिति के नियम व नियमावली एक ही होगी।
13. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं को तैयार करना तथा संस्था संचालित विद्यालय को विभाग/शासन से सम्बद्धता कायम करना।
14. समिति द्वारा जितने भी स्कूल खोले जायेगे उसके लिए एक ही प्रबन्ध समिति होगी।

1- उपस्थापित
2- प्रमाणित
3- 201 जिला शिक्षा

4- Abk Kumar
5- राजकुमार

6- अतिरज
7- प्रदीप कुमार मोदी

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म, मोरईटीज एवं चिट्स

11. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार और कर्तव्य—

अध्यक्ष —

1. सभी बैठको की अध्यक्षता करना।
2. बैठको को बुलाना एवं अनुमोदन कराना।
3. बैठको में शांति व्यवस्था कायम करना।
4. संस्था के समस्त कार्यों को अपनी देख रेख में करवाना संस्था में किसी प्रकार का मतभेद पैदा होने पर उसे सुलझाने का प्रयास करना।

उपाध्यक्ष — अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्यों का करना।

प्रबन्धक/मंत्री —

1. संस्था में मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना।
2. उद्देश्य की पूर्ति हेतु सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं से चन्दा, दान, ऋण व अनुदान प्राप्त करना।
3. सदस्यों से चन्दा लेना व उन्हें रसीद काटकर देने का अधिकार प्रबन्धक/मंत्री का होगा। अध्यक्ष द्वारा जारी कि गयी रसीद ही मान्य होगी।
4. कर्मचारी की नियुक्ति व पदोन्नति, निष्कासन व निलम्बन करना।
5. शिक्षण व प्रशिक्षण से सम्बन्ति समस्त कार्यों को अपनी देखरेख में करवाना।
6. प्रबन्धकारिणी समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
7. राजकीय सहायता एवं अनुदान प्राप्त करना व संस्था के हित में खर्च करना।
8. पारित बजट के अन्तर्गत व्यय की सवीकृति देना।
9. संस्था की ओर से समस्त अदालती कार्यवाही करना।
10. कर्मचारियों के कार्यों की देख रेख करना।
11. संस्था के प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करना।
12. संस्था के सदस्यों व पदाधिकारियों द्वारा अनैतिक कार्य किये जाने पर उन्हें दण्डित व निष्कासित करना।
13. बैठको की कार्यवाही को कार्यवाही रजिस्टर पर नोट करना।
14. बैठको का दिनांक, समय, व स्थान निर्धारित करना।
15. संस्था के संगठन को मजबूत करना।
16. शिक्षण व प्रशिक्षण से सम्बन्धित समस्त कार्यों को अपनी देख-रेख में करवाना।
17. सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना।
18. संस्था में किसी प्रकार कामतभेद पैदा होने पर उसे सुलझाने का प्रयास करना।



उपप्रबन्धक/उपमंत्री — प्रबन्धक/मंत्री की अनुपस्थिति में प्रबन्धक/मंत्री द्वारा सौंपे गये कार्यों का करना।

कोषाध्यक्ष —

1. संस्था के हित में धन एकत्रित करना।

1- पुष्पा सिंह
2- नमोदेव सिंह
3- राजकुमार

4- Abh Kumar

5- राजकुमार

6- जीतराज
7- प्रदीप कुमार मोदी

(Signature)

सहायक रजिस्ट्रार
फर्मा, मोसाईटीज एवं विद्म